मेरा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और
एक नागरिक की गोपनीयता का अधिकार

– अरुण जेटली

पिछले कुछ महीनों से, मैं अपने मोबाइल फोन की निगरानी से जुड़ी विभिन्न खबरों को काफी करीब से देख रहा हूं। मेरे कॉल डिटेल रिकॉर्ड तक पहुंचने का प्रयास किया गया था। इस मामले में हुई प्रगति की मुझे जानकारी देने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी दो बार मुझसे मिल चुके हैं।

तथ्य

तीन बार दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मुझसे उस मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्डस मांगे जिसे में रोजाना इस्तेमाल करता हूं। ये डिटेल्स दक्षिणी जिला, केन्द्रीय जिला और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मांगे थे। आधिकारिक तौर पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मांगने के लिए दिये गए कारण विचित्र और बेतुके हैं। लगता है कि दो अलग–अलग मौकों पर दो बार कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स दिल्ली के एक फार्महाउस में हुए दोहरे हत्याकांड के संबंध में सत्यापन के लिए मंगाए गए। तीसरी बार दिल्ली पुलिस के हैड कान्स्टेबल ने डिटेल्स मांगे और इन्हें इस आधार पर सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया कि वह साकेत कोर्ट से लौट रहा था। एक अनाम स्रोत ने उसे सलाह दी कि वह मेरे टेलीफोन नम्बर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड चैक करे क्योंकि इससे जाली मुद्रा के रैकेट के संबंध में कुछ सबूत मिल सकते हैं। जाहिर है कि दोनों ही बहाने स्पष्ट रुप से फर्जी थे। यहां तक कि खयाली पुलाव भी बनाए जाएं तो भी इस तरह के अपराधों के संबंध में मेरे फोन डिटेल्स से कोई सबूत उपलब्ध नहीं हो सकते। इन अपराधों से जुड़े लोगों से मेरा न तो कोई परिचय और न ही इन अपराधों से किसी तरह का कोई संबंध।

एक अन्य घटना में, दिल्ली पुलिस ने एक निजी जासूसी एजेंसी के इशारे पर काम कर रहे पुलिस के एक कान्स्टेबल को कुछ ऐसे फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड लाने का काम सौंपा जो मेरे आसपास के लोग इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे नाम के दो फोन दो ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें मैं बारी–बारी से इस्तेमाल करता था और तीसरा मेरा बेटा इस्तेमाल करता था। जब मैं अपनी कार या किसी मीटिंग में होता था, मैं अपने ड्राइवर के नंबरों पर कॉल लेता था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि एक सर्विस प्रोवाइडर के जागरुक कर्मचारी ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया क्योंकि उसे इस कारोबार में किसी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा हो गया था।

इन कॉल्स डिटेल पर आधिकारिक और गैर कानूनी चैनलों के जरिये नवम्बर–दिसम्बर, 2012 और जनवरी, 2013 में नजर रखी जा रही थी। हैड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल स्तर के अधिकारियों सहित पुलिस के जूनियर अधिकारी इन कॉल डिटेल रिकार्ड्स तक पहुंच सकते थे।

जाहिर है कि इस अवधि के दौरान कोई मेरे कॉल डिटेल में कुछ सबूत पाने का दुस्साहस करने की कोशिश कर रहा था। ये मिलाजुला प्रयास उन फोनों पर किया जा रहा था जिनका मैं रोजाना इस्तेमाल करता था और इसमें उन लोगों के फोन भी शामिल थे जो मेरे साथ रहते थे जिनके फोन मैं कभी–कभी इस्तेमाल कर लेता था। खेद की बात है कि दिल्ली पुलिस का मानना है कि इन सभी प्रयासों का एक दूसरे से कोई लेना–देना नहीं हैं और इसमें कोई दम नहीं है कि उन लोगों पर नजर रखने के सफल और असफल प्रयास किये गए जिनके साथ कठिन समय के दौरान मैं सम्पर्क में था। दिल्ली पुलिस के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है कि वह इसके मास्टर माइंड का पता लगाने में असमर्थ रही है और यह महज एक संयोग है कि मेरे कॉल डिटेल लेते समय ही अनेक गतिविधियां हुईं।

दिल्ली पुलिस मानती होगी कि इन घटनाक्रमों का एक दूसरे से कोई लेना–देना नहीं है। इस काम में किसका हाथ है, इसका पता लगाने में दिल्ली पुलिस की असमर्थता का कतई ये मतलब नहीं है कि कोई मास्टर माइंड नहीं था। या तो मास्टर माइंड के पहचान का पता लगाने के लिए की गई जांच पूरी तरह अपर्याप्त थी या दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि मास्टर माइंड का नाम लेकर वह परेशानी में पड़ सकती है। मैं अब भी, पूरा अनुमान लगा सकता हूं। यह एक सरकारी एजेंसी द्वारा आउट सोर्स की कार्रवाई हो सकती है या एक निजी शरारती कार्रवाई।

<u>प्रभाव</u>

इस मुद्दे को उठाने का मेरा उद्देश्य कोई सहानुभूति लेना नहीं है। मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है क्योंकि जनहित के कुछ बड़े सवाल इससे जुड़े हुए हैं।

सबसे पहले, भारत के प्रत्येक नागरिक के पास गोपनीयता का अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंतरनिहित पहलू है। गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है जो अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतर्कसंगत है। किसी व्यक्ति के कॉल डिटेल रिकॉर्ड अनेक तरह के कारोबार का ब्यौरा दे सकते हैं। एक औसत नागरिक के मामले में यह

उसके संबंधों पर असर डाल सकते हैं। एक पेशेवर या एक बिज़नस करने वाले के मामले में उसके वित्तीय कारोबार पर असर पड़ सकता है। एक पत्रकार के मामले में इससे उसके स्रोत का पता लग सकता है। एक राजनीतिज्ञ के मामले में इससे उन लोगों की पहचान पता लग सकती है, जिनके साथ उसकी नियमित बातचीत होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले जीने का अधिकार है। एक उदार समाज में उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो किसी व्यक्ति के निजी मामलों में ताक–झांक करते हैं। किसी को भी यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसकी और किससे बातचीत होती है। बातचीत की प्रकृति, जिन लोगों से बातचीत हुई उनकी पहचान और बातचीत की आवृत्ति गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। अगर पुलिस का कान्स्टेबल और हैड कान्स्टेबल आधिकारिक तौर पर (यहां तक कि झूठे बहाने से) या अनधिकृत तौर पर किसी व्यक्ति के (इस मामले में संसद में विपक्ष के नेता) कॉल डिटेल रिकार्ड्स तक पहुंच जाता है, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।

सांसद के मामले में, यह अतिरिक्त सवाल उठता है। पत्रकारों की तरह एक सांसद को भी विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती रहती हैं। यह जनहित में है कि स्रोतों की पहचान न बताई जाए। अधिकतर घोटाले अंदर के लोगों ने ही उजागर किये हैं। अगर स्रोत की जानकारी बता दी जाएगी तो स्रोत खत्म होने और लोगों के हितों पर असर पड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। एक सांसद के पास कई अपरिभाषित विशेषाधिकार हैं। किसी को भी यह जानने का अधिकार नहीं है कि उससे किसकी बातचीत हुई। अगर उसके साथ जिन लोगों की बातचीत होती है उनका पता चल जाए तो कोई भी किसी सांसद को कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होगा। यह जनता के हित के लिए हानिकारक होगा। अगर विपक्ष के नेता के विशेषाधिकार वाले फोन के रिकॉर्डों तक इतनी आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो यह सोचकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक साधारण नागरिक का क्या होगा ?

इस घटना ने एक अन्य, लेकिन जायज खौफ की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। हम लोग आधार नम्बर के युग में प्रवेश कर चुके हैं। सरकार हाल ही में अनेक गतिविधियों जैसे विवाह के पंजीकरण से लेकर सम्पत्ति के दस्तावेजों के निष्पादन तक की पूर्व शर्त के रुप में आधार नम्बर को अस्तित्व में लाया है। क्या जो दूसरों के मामलों में दखल करते हैं वे इस व्यवस्था को तोड़कर बैंक खातों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों तक पहुंचने में समर्थ होंगे? अगर ऐसा संभव होता है तो इसके नतीजे बेहद खराब होंगे।